रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 1974/फाल्गुन 14, 1895

No. 53] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 1974/PHALGUNA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st March, 1974

No. 1/56/73-RLW.—For the effective and expeditious rehabilitation of about 18,400 displaced persons comprising about 4,600 families displaced as a result of the 1971 conflict from Chhamb-Nigbat area of Jammu & Kashmir, the Government of India have decided to set up a Central Authority to be known as the Chhamb Displaced Persons Rehabilitation Authority (CDPRA).

2. The composition of the Authority shall be as follows:

Chairman

1. Chief Secretary, Jammu & Kashmir Government.

Members

2. Secretary, Revenue & Rehabilitation, Jammu & Kashmir Government.

3. Divisional Commissioner, Jammu.

Member-Secretary

4. Chief Executive of the Authority.

Members

5. Joint Secretary, Department of Rehabilitation, Government of India.

6. Joint Secretary, Ministry of Finance, Government of India.

7. Deputy Secretary, Department of Rehabilitation, Government of India.

3. The Chief Executive of the Authority shall be appointed by the Central Government in consultation with the Government of Jammu & Kashmir. He shall function as a Member-Secretary of the Authority and shall be responsible to the Authority for processing the proposals expeditiously and will be overall incharge of the day-to-day functioning of the Authority.

4. The Authority may enlist, as necessary, the services of technical or administrative experts to assist it in the formulation and/or execution of the schemes.

5. **Functions and Powers of the Authority**.—The Authority would be a Central Government Office under the Department of Rehabilitation of the Government of India who would bear the entire cost of rehabilitation and relief for the Chhamb displaced persons. The Authority will function in the discharge of its duties in accordance with this Resolution subject to such directions as the Central Government may issue from time to time. Further, the eligibility for allotment of land or for other resettlement assistance in case of families not settled on land and the dispersal of families to particular resettlement sites would be as determined by the State Government of Jammu & Kashmir. The scale of allotment of land will be fixed by the Authority having regard to the availability of the land, viability of holdings and the pattern of allotment already followed in the State in respect of displaced persons.

Without affecting the generality of the functions to be performed by the Authority in the discharge of its responsibilities for the effective and expeditious rehabilitation of these displaced persons, the Authority shall

(i) formulate suitable schemes, both agricultural and non agricultural, for the rehabilitation of the families of persons displaced from Chhamb-Niabat during the December, 1971 hostilities;

(ii) enlist the assistance and cooperation of the concerned State Government authorities to locate more cultivable land within the State even if that process may involve the acquisition of land;

(iii) ensure the proper and timely execution of such schemes;

(iv) pending the final rehabilitation of the displaced persons, prepare and execute schemes for provision of such relief facilities as may be considered essential and adequate, in the present relief camps.

As far as possible, schemes will be executed through the concerned departments of the State Government. In reclaiming land and making it fit for agriculture, the Authority will make use of the earth moving and agricultural machinery that may be made available by the Department of Rehabilitation, Government of India, keeping in view the need for economy in the use of fuel and for optimising the use of manual labour.

POWERS

For the discharge of its functions and the execution of the various schemes, programmes and measures in this behalf, the Authority shall exercise the following powers, subject to expenditure in any financial year not exceeding the total budget provision for the year:—

(a) to give financial sanction to specific items of expenditure as may be authorised by the Central Government from time to time, provided that schemes involving expenditure in excess of Rs. 10 lakhs shall be referred to the Central Government for approval;

(b) to make direct purchase of all machinery tools and plant, equipment, vehicles, furniture and stationery etc., provided that where the Directorate General of Supplies and Disposals, Government of India or the Stores Purchase Officer of the Government of Jammu & Kashmir have entered into rate-contracts for any item, the Authority shall ordinarily avail of these contracts. The Chief Executive of the Authority will be treated as a Direct Demanding Officer for the purpose of these contracts provided that to meet any emergent demand, the Authority may incur direct expenditure for making the above purchase subject to the monetary limits prescribed for the purpose for the Ministries of the Government of India; and

(c) to create such posts including the necessary engineering staff and to appoint such officers and staff thereto, as are necessary for efficient performance of its functions provided, however, that no post shall be created on a scale of pay the maximum of which exceeds Rs. 1250 a month or on a fixed pay exceeding Rs. 1250 a month, without the prior approval of the Central Government.

The Authority may delegate to the Chairman or the Chief Executive such of its powers as it may deem necessary for the speedy execution of the schemes etc. The Chairman may in turn re-delegate, with the concurrence of the Financial Adviser, to the Chief Executive or any other subordinate officers any of his powers which may be deemed necessary.

The Joint Secretary, Ministry of Finance, Government of India, will also act as Financial Adviser to the Authority and will advise on the matters involving financial implications.

6. The Department of Rehabilitation would include in the Annual Budget of the Department the sums required for expenditure during that year for the various activities on the schemes under the programme drawn up by the Authority.

7. **Headquarters and Venue of meetings of the Authority.**—The Authority shall ordinarily meet at least once a month and the venue may be Jammu, Srinagar or New Delhi.

Any four members (including the Chairman) present shall form a quorum at a meeting of the Authority.

The Headquarters of the Chief Executive of the Authority will be at Jammu in the Jammu & Kashmir State.

8. **Decisions.**—The Authority shall take decisions on the basis of unanimity. In the event of any difference of opinion among the matter shall be referred by the Chairman to the Union Department of Rehabilitation.

9. **Staff.**—The Authority will make use of the administrative machinery of the State Government in implementing its schemes etc. as far as possible. Such of the existing staff of the office of the Relief & Rehabilitation Commissioner, Jammu, as may be considered necessary, may be taken on deputation by the Authority to ensure the execution of the work. In addition, an Agriculture Adviser who may be an Agricultural Engineer in the scale of Joint Director, *viz.* Rs. 1100—1400 and a Commandant for the three Relief Camps in a suitable scale not exceeding Rs. 1300—1600 will be appointed on the staff of the Authority.

10. **Record of Proceedings**—The Member-Secretary of the Authority will maintain the record of the proceedings of the Authority and send a copy thereof to the Secretary, Department of Rehabilitation Government of India. The record of a meeting as prepared by the Chief Executive and approved by the Chairman will be rectified by the Authority before the subsequent meeting by being placed before the members present at the next meeting or by circulation but in any case within a month.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to:—

(i) The Government of Jammu & Kashmir.

(ii) All Ministries of the Government of India, the Planning Commission, Union Public Service Commission, the Cabinet Secretariat, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, All Accountants General and Comptrollers, Chief Pay & Accounts Officer, Food, Rehabilitation & Supply, Pay & Accounts Officers, Department of Rehabilitation, Railway Ministry (Railway Board), Directorate General of Supplies & Disposals.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. V. SUNDARA RAMAN, Jt. Secy.

पूर्त और सभरण मन्त्रालय

(पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली 1 मार्च, 1974

1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप जम्मू और काश्मीर राज्य के छम्ब नियाबत क्षेत्र से विस्थापित हुए लगभग 18,400 विस्थापित व्यक्तियों के लगभग 4,600 परिवारों को प्रभावशाली तथा शीघ्र पुनर्वास देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय प्राधिकरण, जिसे छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण (सी० डी० पी० आर० ए०) के रूप में जाना जाएगा, स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

2. प्राधिकरण का गठन इस प्रकार होगा।

अध्यक्ष

1. मुख्य सचिव,
 जम्मू और कश्मीर सरकार

सदस्य

2. सचिव,
 राजस्व एवं पुनर्वास, जम्मू और काश्मीर सरकार
3. मंडल आयुक्त — सदस्य
 जम्मू

सदस्य सचिव

4. प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक

सदस्य

5 संयुक्त सचिव, पुनर्वास विभाग, भारत सरकार
6 संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
7. उप सचिव, पुनर्वास विभाग, भारत सरकार

3. प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। वह प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, के रूप में कार्य करेगा तथा प्रस्तावों पर तत्परता से कार्य करने के लिए प्राधिकरण के प्रति जिम्मेदार होगा और प्राधिकरण के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए सर्वकार्य भारी अधिकारी होगा।

4. प्राधिकरण योजनाओं को बनाने तथा/या उनका निष्पादन करने में यदि आवश्यक हो तो तकनीकी या प्राणासनिक विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त कर सकती है।

5. प्राधिकरण के कार्य तथा शक्तियां:—प्राधिकरण भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकार का कार्यालय होगा तथा विभाग छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा राहत पर होने वाले पूर्ण व्यय को वहन करेगा। प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अधीन रहते हुए इस संकल्प के अनुसार अपने कार्य करेगा। भूमि के आवंटन के लिए पात्रता या भमि पर न बसाये गए परिवारों के संबंध में अन्य पुनर्वास सहायता देने तथा परिवारों को विशेष पुनर्वास स्थलों पर भेजने के सम्बन्ध में कार्यवाही जम्मू और काश्मीर की राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा भमि की उपलब्धता, जोत की

व्यवहार्यता तथा विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में राज्य में पहले से अपनाई गई आवंटन की पद्धति को ध्यान में रखकर भूमि के आवंटन की दर निश्चित की जाएगी ।

इन विस्थापित व्यक्तियों के प्रभावी तथा शीघ्र पुनर्वास के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने में रुकावट डाले बिना प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(i) दिसम्बर, 1971 के युद्ध के दौरान छम्ब-नियाबत से विस्थापित हुए व्यक्तियों के परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए उपयुक्त कृषि तथा गैर-कृषि योजनाएं बनान ।

(ii) राज्य में अधिक कृषि योग्य भूमि का पता लगाने के लिए चाहे भूमि का अर्जन ही करना पड़े, संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता तथा सहयोग प्राप्त करना;

(iii) इस प्रकार की योजनाओं का उचित तथा समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना ;

(iv) विस्थापित व्यक्तियों का स्थायी पुनर्वास हो जाने तक वर्तमान राहत शिविरों में आवश्यक तथा पर्याप्त समझी जाने वाली राहत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए योजनाएं तैयार करना तथा निष्पादन करना ।

जहां तक संभव होगा योजनाएं राज्य सरकार के संबंधित विभागों के माध्यम द्वारा निष्पादित की जाएंगी । प्राधिकरण भूमि उद्धार करने तथा इसे कृषि योग्य बनाने में ईंधन के प्रयोग में कमी करने की आवश्यकता तथा शारीरिक श्रम के उचित प्रयोग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अर्थ मविग तथा कृषि मशीनों का प्रयोग करेगा ।

शक्तियां

प्राधिकरण अपने कार्यों को करने तथा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा इस संदर्भ में अन्य उपायों को निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी परन्तु इसमें यह शर्त होगी कि किसी भी वित्तीय वर्ष में होने वाला व्यय उस वर्ष के लिए की गई कुल बजट व्यवस्था से अधिक नहीं होगा :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत विशिष्ट मदों पर हुए खर्च के लिए वित्तीय स्वीकृति देना परन्तु 10 लाख रुपये से अधिक खर्च वाली योजना को स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा ;

(ख) सभी मशीनों के संयत्रों और प्लांट, उपस्कर, वाहन, फर्नीचर तथा लेखन—सामग्री आदि को सीधे खरीदना परन्तु जिन मामलों में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय भारत सरकार या जम्मू और काश्मीर सरकार के भंडार क्रय अधिकारी ने किसी मद के बारे में कोई दर—ठेका कर रखा होगा तो प्राधिकरण सामान्यतया उसका लाभ उठाएगा । प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक इन ठेकों के लिए प्रत्यक्ष मांग अधिकारी के रूप में समझा जाएगा बशर्ते उस तात्कालिक मांग को वहन करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों के लिए इस कार्य के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा के अन्दर रहते हुए उक्त खरीद के लिए प्राधिकरण सीधा व्यय कर सकेगा ; और

(ग) इस तरह के पदों को बनाना जिनमें आवश्यक इंजीनियरिंग कर्मचारी भी शामिल है तथा ऐसे अधिकारियों तथा उनके कर्मचारियों की नियुक्ति जो कुशल तथा सुचारु कार्यवाही के लिए आवश्यक हो, बशर्ते कोई भी ऐसा पद बिना केन्द्रीय सरकार

पूर्व अनुमति के नहीं बनाया जाएगा जिसका अधिकतम वेतन मान 1250/– रुपये प्रति माह या 1250/– रुपये प्रति माह निश्चित वेतन से अधिक हो ।

प्राधिकरण अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक को योजनाओं आदि का तत्परता से निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली अपनी शक्तियां सौंप सकता है । इसके प्रत्युत्तर में अध्यक्ष वित्त सलाहकार की सहमति से मुख्य कार्यपालक या अन्य किसी अधिनस्थ अधिकारी को आवश्यक समझी जाने वाली अपनी कोई भी शक्ति सौंप सकता है ।

संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार भी प्राधिकरण के लिए वित्त सलाहकार के रूप में कार्य करेगा तथा वित्तीय भार वाले मामलों में सलाह देगा ।

6. प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान योजनाओं के विभिन्न कार्यकलापों पर व्यय करने के लिए आवश्यक राशि को पुनर्वास विभाग द्वारा विभाग के वार्षिक बजट में सम्मिलित किया जा जाएगा ।

7. **प्राधिकरण का मुख्यालय एवं बैठकों का स्थान.**—प्राधिकरण की बैठक सामान्यतया महीने में कम से कम एकबार होगी तथा बैठक का स्थान जम्मू श्रीनगर या नई दिल्ली होगा ।

उपस्थित कोई भी चार सदस्य (अध्यक्ष को मिलाकर) प्राधिकरण की बैठक का कोरम पूरा कर सकेंगे ।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक का मुख्यालय जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू में होगा ।

8. **निर्णय.**—प्राधिकरण सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय करेगा । यदि प्राधिकरण के सदस्यों के विचारों में किसी प्रकार का मतभेद होगा और जिसका विचार विमर्श द्वारा हल नहीं हो सकेगा उस मामले को अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास विभाग को भेज दिया जाएगा ।

9. **कर्मचारी**:—जहां तक संभव होगा प्राधिकरण अपनी योजनाओं आदि को कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग करेगा । प्राधिकरण द्वारा कार्य का निष्पादन करने के लिए राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, जम्मू के कार्यालय के वर्तमान कर्मचारियों को प्रति नियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त एक कृषि सलाहकार जो कि संयुक्त निदेशक अर्थात 1100–1400 रु० के वेतनमान में कृषि इंजीनियर हो सकता है, तथा तीन राहत शिविरों के लिए 1300–1600 रु० तक के उपयुक्त वेतनमान में एक कमांडेंट को प्राधिकरण के कर्मचारी वर्ग में नियुक्त किया जाएगा ।

10. **कार्यवाहियों का कार्यवृत्त.**—प्राधिकरण का सदस्य सचिव, प्राधिकरण की कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा तथा उसकी एक प्रति सचिव, पुनर्वास विभाग, भारत सरकार को भेजेगा । मुख्य कार्यपालक द्वारा तैयार किए गए तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त को अगली बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के समक्ष रखकर या उसे परिचालित करके उसकी अभिपुष्टि की जाएगी परन्तु यह पुष्टि एक महीने के अन्तर्गत करनी होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेज दी जाए :—

(i) जम्मू और काश्मीर सरकार ।

(ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालय, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मंत्रिमंडल, सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री का सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा पाल सभी महा लेखापाल तथा नियंत्रक, मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी खाद्य, पुनर्वास एवं पूर्ति, वेतन एवं लेखा अधिकारी, पुनर्वास विभाग, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

न० वे० सुन्दरामन्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974